हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति

(तेरहवीं विधान सभा)

(वर्ष 2022-23)

<u>शहरी विकास विभाग</u>

भारत के नियन्त्रक -महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012- 13 (राज्य के वित्त)पर आधारित है।

<u>246 वाँ प्रतिवेदन</u>

(दिनांक: 12अगस्त, 2022 को सदन में उपस्थापित किया गया।)

विषय सूची

क्र0सं0	विषय	पृष्ठ संख्या
1.	समिति का गठन	(i)
2.	प्रस्तावना	(iii)
3.	प्रतिवेदन	(1)

समिति का गठन

सभापतिः

श्रीमती आशा कुमारी

सदस्यः

2. श्री हर्षवर्धन चौहान
3. श्री अर्जुन सिंह
4. श्री रविन्द्र कुमार
5. श्री आशीष बुटेल
6. श्री सुन्दर सिंह ठाकुर
7. श्री राकेश जम्वाल
8. श्री जीत राम कटवाल
9. श्री सुभाष ठाकुर
10. श्री होशयार सिंह
11. श्री भवानी सिंह पठानिया

हिमाचल प्रदेश विधान सभा सचिवालय

1. श्री यशपाल शर्मा : सचिव
2. श्री जितेन्द्र सिंह कंवर : अवर सचिव एवं समिति अधिकारी

<u>प्रस्तावना</u>

मैं, सभापति, लोक लेखा समिति(तेरहवीं विधान सभा)(वर्ष 2022-23) समिति द्वारा प्रदत्त अधिकार से **246वाँ मूल प्रतिवेदन** जोकि **शहरी विकास विभाग** से सम्बन्धित भारत के नियन्त्रक- महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष **2012-13(राज्य के वित्त**) की समीक्षा पर आधारित है, को सदन में उपस्थापित करती हूँ।

समिति (वर्ष 2022-23) का गठन हिमाचल प्रदेश विधान सभा की प्रक्रिया एवं कार्य संचालन नियमावली, 1973 के नियम 209 व 211 के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या: वि0स0-विधायन समिति गठन/1-14/2018, दिनांक 28 मार्च, 2022 को किया गया।

समिति, प्रधान सचिव (**शहरी विकास**), हिमाचल प्रदेश सरकार एवं विभाग के अन्य पदाधिकारियों का आभार प्रकट करती है, जिन्होंने समिति को लिखित उत्तर की सूचना दिनांक 04.01.2016 व 30.01.2016 को उपलब्ध करवाई।

समिति, प्रधान महालेखाकार(लेखा परीक्षा), हिमाचल प्रदेश तथा अतिरिक्त मुख्य सचिव(वित्त), हिमाचल प्रदेश सरकार का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने स्वयं या अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से समय-समय पर आयोजित समिति की बैठकों में अपना सहयोग दिया।

समिति ने दिनांक **03.08.2022** की आयोजित बैठक में विचार-विमर्श उपरान्त इस प्रतिवेदन को अपनाया तथा सभापति महोदय को इसे सदन में उपस्थापित करने के लिए प्राधिकृत किया।

समिति, सचिव, विधान सभा तथा इस सचिवालय के अधिकारियों/कर्मचारियों का भी आभार प्रकट करती है जिन्होंने इस प्रतिवेदन को तैयार करने में सहयोग दिया।

आशा कुमारी

दिनांक: 03.08.2022 | **(आशा कुमारी)**
शिमला-171004. | **सभापति,**
लोक लेखा समिति।

प्रतिवेदन

शहरी विकास विभाग

भारत के नियन्त्रक-महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2012-13(राज्य के वित्त) के विभागीय उत्तरों पर आधारित।

राज्य के वित्त

पैरा संख्या: 2.3.6.1 अप्रयुक्त निधियां

पैरा संख्या: 2.5 व्यक्तिगत निक्षेप लेखों का परिचालन

पैरा संख्या: 3.6 बहुप्रयोजन लघु शीर्ष -800 का संचालन

टिप्पणी

उपरोक्त सभी पैरे वित्त विभाग (आधिक्य) से सम्बन्धित है जिन पर समिति ने अपना अभिमत समिति के 16 वें प्रतिवेदन (तेरहवीं विधान सभा) में दे दिया है तथा दिनांक 28.08.2018 को सदन के सभा पटल पर उपस्थापित किया जा चुका है। अत: उक्त पैरों को इस प्रतिवेदन से समाप्त समझा जाए।

पैरा संख्या: 3.1 उपयोगिता प्रमाणपत्रों को प्रस्तुत करने में विलम्ब

टिप्पणी

समिति इस पैरे को यहां से इस आश्य से समाप्त करती है क्योंकि इससे सम्बन्धित विभागीय कार्रवाई सी0ए0जी0 के प्रतिवेदन वर्ष 2017-18 के पैरा संख्या 3.1 में अपेक्षित रहेगा।

****